प्रेषक,

प्रभंजन यादव,
अनु सचिव,
उ0प्र 0शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र 0पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग 1- लखनऊ : दिनांक 27 दिसम्बर, 2023

विषय:–वित्तीय वर्ष 2023-24 में आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम अन्तर्गत उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त किये गये रूपये 20940.00 करोड़ के ऋण के मूलधन की अदायगी हेतु अनुदान के रूप में वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या-1219/अधि0नि0(वित्त)/वि0प्र0-2/आय-व्ययक 2023-24/436, दिनांक 08 दिसम्बर, 2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम अन्तर्गत उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त किये गये रूपये 20940.00 करोड़ के ऋण के मूलधन की अदायगी हेतु अनुदान के रूप मूल बजट एवं अनुपूरक बजट में प्राविधानित कुल धनराशि रूपये 2288,00,00,000/- (रूपये दो हजार दो सौ अठ्ठासी करोड़ मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि रूपये 288,00,00,000/- (रूपये दो सौ अठ्ठासी करोड़ मात्र) स्वीकृत कर आहरित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) शासनादेश संख्या-46/2023/001-972-24-1-2023-830(बजट)-2021, दिनांक 15 अप्रैल, 2023 द्वारा स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि रूपये 400,00,00,000/-(रूपए चार सौ करोड़ मात्र) तथा अनुपूरक बजट में प्राविधानित धनराशि रूपये 288,00,00,000/- (रूपये दो सौ अठ्ठासी करोड़ मात्र) अर्थात कुल धनराशि रूपये 688,00,00,000/- (रूपये छ: सौ अठ्ठासी करोड़ मात्र) में से माह दिसम्बर, 2023 में धनराशि रूपये 382,00,00,000/- (रूपये तीन सौ बयासी करोड़ मात्र) एवं अवशेष धनराशि रूपये 306,00,00,000/- (रूपये तीन सौ छ: करोड़ मात्र) को माह जनवरी, 2024 में आहरित किया जायेगा।

(2) प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के अन्तर्गत उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त किये गये ऋण के मूलधन की अदायगी हेतु किया जायेगा।

(3) प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या-426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखा शीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज और ऊर्जा विभाग तथा वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

(5) इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2,88,00,00,000 (रूपये दो सौ अठ्ठासी करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 009लेखा शीर्षक 2801051900301 आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-21 में उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लि . द्वारा पी.एफ.सी .एवं आर.ई.सी .से प्राप्त किये गये रू 20,940 .करोड़ के ऋण के मूलधन की अदायगी हेतु अनुदान मानक मद 20 सहायता अनुदान – सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E--133-10X--24-2023दिनांक 2023-12-22: मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

प्रभंजन यादव
अनु सचिव।

<u>संख्या-110/2023/001-1273-24-1-2023-830 BUDGET-2021, तद् दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001
2- महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001
3- कार्यालय प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा-।।), उ0प्र0, आडिट भवन, टी0सी0-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ गार्ड बुक।

आज्ञा से,

प्रभंजन यादव
अनु सचिव।